



क्रमांक :— प.३(१)साप्र / २/२१

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-२) विभाग

जयपुर, दिनांक : २७/८/२१

—: आदेश :—

श्री राधेश्याम वर्मा, उपनिरीक्षक पुलिस, मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ, जयपुर को इनकी चतुर्थ श्रेणी की वरीयता संख्या १३६/२०१० व सेवानिवृत्ति दिनांक ३१.०७.२०४१ है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, १९५८ के नियम २७ के प्रावधानान्तर्गत आउट ऑफ टर्न के आधार पर राजकीय आवास संख्या एफ-४८१, गौंधीनगर, जयपुर का निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:—

शर्ते —

१. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से ४ दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
२. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, १९५८ के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
३. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
४. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
५. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
६. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, १९५८ के नियम ११(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से ४ दिवस में अथवा आवंटन स्थीकार करने के असफल रहने की तारीख से ६ माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। ६ माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
७. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:—
 १. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 २. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
८. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से.

४०

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

१. जिला कलक्टर, जयपुर।
२. संयुक्त सचिव (जीवी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
३. पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, मुख्यालय, जयपुर।
४. महानिरीक्षक पुलिस, मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
५. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
६. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
७. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
८. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, गौंधीनगर जयपुर।
९. अधिशासी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
१०. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-३) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
११. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौंधीनगर, जयपुर।
१२. श्री राधेश्याम वर्मा, उपनिरीक्षक पुलिस, मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्पत्तिवाने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करें एवं पूर्व आवंटित आवास का कब्जा सार्वजनिक निर्माण विभाग को संभलवाकर इस विभाग को सूचित करेंगे।
१३. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
१४. रक्षित पत्रावली।

Dr २७/८/२१
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल